दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय-1,10 वी मंजिल, हंसालय बिल्डिंग

बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

पट्टा आधार पर कार्यालय परिसर

कार्यालय के लिए व्यावसायिक परिसर जिसका कारपेट एरिया लगभग 1600 वर्ग फुट हो, (जिसमे बाथरूप, शौचालय, बरामदा सम्मिलित नहीं है), को किराए पर लेने हेतु दो बोली प्रणाली आधार पर मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। परिसर की अवस्थिति (लोकेशन) प्राधिमानत: कीर्तिनगर नई दिल्ली अथवा इसके आस पास (टेगोर मार्केट) के क्षेत्र में होनी चाहिए। परिसर को न्यूनतम 9 वर्षो की न्यूनतम अवधि के लिए पट्टे पर लिया जाएगा जिसे उपयुक्त प्राधिकारी के पास उक्त अवधि के लिए पंजीकृत किया जाएगा जिसकी पंजीकरण राशि 50:50 के अनुपात में बांटी जाएगी। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली को केवल कारपेट एरिया आधार पर चयनित किया जाएगा। उपयुक्त रोशनदान के साथ, महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक शौचालय और पावर बैक-अप की सुविधा के साथ परिसर प्रयोग के लिए तैयार होना चाहिए। परिसर चौड़ी सड़क पर स्थित होना चाहिए और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और प्रवेश/निकास का सुगम मार्ग होना चाहिए।

इच्छुक पक्षकार दो पृथक लिफाफों में जिसपर विधिवत रूप से "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" लिखा हुआ हो, अपनी निविदा जमा कर सकते है। ये दोनों बोलियां 28 अप्रैल 2022 को शाम 05:00 बजे तक ऊपर वर्णित पते पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, संपदा विभाग, दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय-1, नई दिल्ली को एक लिफाफे में जिस पर "पट्टा आधार पर कीर्तिनगर कार्यालय परिसर का प्रस्ताव" लिखा हो, संबोधित करते हुए जमा की जानी चाहिए। तकनीकी बोली 29 अप्रैल 2022 को दोपहर 12 बजे खोली जाएंगी।

बोली हेतु फार्म को हमारे ऊपर वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय के पते से कार्यालय घंटों के दौरान 28 अप्रैल 2022 तक प्राप्त किया जा सकता है या उसे हमारी कंपनी की वैबसाइट www.orientalinsurance.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। (निविदाएं) मुहरबंद बोली को निविदा दाता द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा अपर वर्णित पते पर कार्यालय मे रखे गए टेंडर बाक्स में जमा किया जा सकता है।

मार्ग में खो गए या किसी भी कारण से देरी से प्राप्त होने वाली निविदाओं के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। कंपनी द्वारा ब्रोकरों को किसी प्रकार की कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा और उनकी बोली के साथ भूस्वामी का पत्र संलग्न होना चाहिए जो भूस्वामी की ओर से बोली देने के लिए उन्हें प्राधिकृत करता हो। बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक